

11 Feb 2021

रांची

इक्फ़ाई विश्वविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार पर कार्यशाला का आयोजन

इक्फ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड ने पेटेंट कार्यालय, (उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कोलकाता के सहयोग से, बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के संसाधन व्यक्ति डॉ रोहित राठौर, पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, के थे।

कार्यशाला में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, झारखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओ आर एस राव ने कहा, "आज की दुनिया में, कोई भी नया विचार ही सफलतापूर्वक व्यवसाय बना रहे हैं और इस प्रकार के बौद्धिक संपदा सबसे मूल्यवान संपत्ति बन रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी यह समझें कि बौद्धिक संपदा क्या है, इसके निर्माता के कानूनी अधिकार और उल्लंघनों से इसे कैसे बचाया जाए। इस संदर्भ में, आज की कार्यशाला छात्रों, शिक्षकों और कामकाजी पेशेवरों के लिए बहुत उपयोगी होगी।"

डॉ. रोहित राठौर ने व्यावहारिक उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, भौगोलिक संकेत, सेमीकंडक्टर और लेआउट के बारे में बताया। भारत में आईपीआर के इतिहास का पता लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पहला पेटेंट 1856 में "कुशल पंखा खींचने वाली मशीन" के लिए दिया गया था। उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया और पेटेंट प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड और अधिकारियों द्वारा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के पंजीकरण के बारे में बताया। उन्होंने उल्लंघन से बचाव के दिशा-निर्देश भी बताए। डॉ. राठौर ने सरकारी, निजी कॉर्पोरेट के साथ-साथ अन्य कामकाजी छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों पर भी विस्तार से बताया। सत्र के अंत में कार्यशाला में उपस्थित लोगों के साथ प्रश्नोत्तर का दौर हुआ, जिसके बाद एक रोचक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ।

कार्यक्रम का संचालन विधि संकाय की प्रोफेसर आकृति गुप्ता ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव प्रो. अरविन्द कुमार, कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आलोक कुमार ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी विषयों के छात्र, संकाय सदस्य, कामकाजी पेशेवर, युवा नवप्रवर्तनकर्ता और उद्यमी शामिल हुए।

=====